सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ०टाईप, पी०डब्लू०डी० (IB)
डोरण्डा, राँची
मो० : 9431114466

पत्रांक 311/का./04/16 दिनांक 09-01-2016

सेवा में,

माननीय श्री प्रणब मुखर्जी
भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

विषय : भारत के पूर्वी क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु बंगाल प्रेसिडेंसी के पूर्ववर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और ओड़िशा के साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ को मिलाकर एक आर्थिक संघ बनाने के संबंध में।

मान्यवर,

आप भलीभांति अवगत हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के पूर्ववर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ विकास की दौड़ में भारत के दक्षिणी, पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम के राज्यों की तुलना में कम विकसित हुये हैं। ज्ञात हो कि भारत सरकार के योजना आयोग के तत्वावधान में 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के संदर्भ में देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का दो दिवसीय सम्मेलन 30 और 31 मई, 2011 को पटना में हुआ था। इस सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र के पांच राज्य–बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने भाग लिया था। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन था और इस सम्मेलन के माध्यम से योजना आयोग ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को परिभाषित कर दिया था। इन पांच राज्यों में छत्तीसगढ़ को छोड़ कर शेष सभी राज्य 1911 तक एक ही राज्य बंगाल के अधीन थे। 1911 में इससे अलग होकर बिहार और ओडिशा नामक एक राज्य बना। 1936 में ओडिशा एक अलग राज्य बन गया। वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भी एक राज्य बन गया। यह स्वाभाविक ही था कि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ को योजना आयोग ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के साथ जोड़ दिया।

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट – www.saryuroy.in

Scanned with OKEN Scanner

भारत के पूर्वी क्षेत्र के ये सभी राज्य योजनात्मक विकास के आरंभिक दिनों से ही उपेक्षा के शिकार हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को मिलाकर भारत के 65 प्रतिशत से अधिक खनिज इस क्षेत्र में हैं। साथ ही वनों, वन्यजीवों, जैव–विविधता का प्रचुर भंडार प्राकृतिक संपदा के रूप में इस क्षेत्र में विद्यमान है। राज्य विभाजन के बाद गंगा नदी के दोनों तरफ के हिस्सों के भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल पंजाब और हरियाणा के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर है। पश्चिम बंगाल में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बराबर खेती लायक उपजाऊ जमीन है। यह क्षेत्र कृषि उत्पादन में अग्रणी हो सकता था। परंतु हरित क्रांति के दौर में इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

1982 में भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने उस समय के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एस.आर. सेन की अध्यक्षता में भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में कृषि के पिछड़ापन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया था। इस समिति ने 1984 में अपना प्रतिवेदन दे दिया। प्रतिवेदन में इस क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास की प्रबल संभावना को रेखांकित किया गया था। साथ ही इन राज्यों के तुलनात्मक रूप से पिछड़ापन का जिक्र भी था और भारत के अन्य क्षेत्रों से इस क्षेत्र में काफी कम निवेश होने का संकेत भी था। इस प्रतिवदेन में अलग से ट्राइबल एग्रीकल्चर के बारे में भी विचार किया गया था और इसे सशक्त बनाने का दिशा–निर्देश दिया गया था। कृषि, सिंचाई, सहकारिता, कृषि आधारित उद्योग, बागवानी, रेशम उत्पादन आदि क्षेत्रों में पूंजी निवेश का आकलन भी किया गया था। परंतु "सेन समिति" की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने और पूंजी निवेश आधारित विकास योजनायें लागू करने के बारे में न तो भारत सरकार ने और न ही इन राज्यों की सरकारों ने ही सार्थक पहल की। नतीजा है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास की प्रबल संभावना वाला भारत का पूर्वी क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है।

इसके बाद भारत सरकार के योजना आयोग ने भी "पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट", चाण्क्यपुरी, नई दिल्ली द्वारा 1989 में संयुक्त बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के संदर्भ में एक अध्ययन कराया था। इस समिति के प्रतिवेदन में तत्कालीन बिहार (अब बिहार और झारखंड) में आधारभूत संरचनाओं, बाढ़ नियंत्रण, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों में इनके पिछड़े होने तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के बाद कोलकाता के इर्दगिर्द हुए आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में हुए क्षरण (Decay) के परिप्रेक्ष्य में बिहार और झारखंड क्षेत्र के पिछड़ापन को चिन्हित किया गया था। समिति ने ब्रिटिश शासन काल से आजाद भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना काल तक इन सरकारों द्वारा इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के शेष भारत के विकास में उपयोग का भी तर्कसंगत संकेत किया था और बताया था कि इस क्षेत्र में आधारभूत संसाधनों, खासकर रेल परिवहन नेटवर्क का विकास इस उद्देश्य से किया गया था ताकि यहां के खनिज संसाधन को शेष भारत के अन्य स्थानों पर ले जाकर वहां औद्योगिक विकास में लगाया जा सके। इस रिपोर्ट में भारत सरकार

Scanned with OKEN Scanner

की "भाड़ा समानीकरण नीति" (Freight Equalization Policy) को भी भारत के पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों, खासकर बिहार (अब बिहार और झारखंड) के पिछड़ापन का बड़ा कारण बताया गया था। इस समिति की अनुशंसायें भी कालान्तर में लागू नहीं हो पायीं।

आर्थिक विकास के नये क्षेत्र तेजी से विकसित होने लगे। भारत का पूर्वी क्षेत्र निरंतर पिछड़ते गया। कोलकाता और हल्दिया के बंदरगाहों की सक्रियता कम होती गई। ओडिशा का पारादीप बंदरगाह भी अपेक्षित प्रगति नहीं कर सका। विशाखापत्तनम से लेकर कांडला तक भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों के बंदरगाहों से भारत का विश्व व्यापार संचालित होने लगा। नतीजा हुआ कि भारत के दक्षिण क्षेत्रों के राज्य, मुम्बई के समीपवर्ती राज्य, दिल्ली के परिधीय क्षेत्रों के राज्य तेजी से विकास करने लगे। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए अलग मंत्रालय ही गठित कर दिया। भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्य विकास और निवेश की सार्थक और सुनियोजित योजनाओं से वंचित रह गए।

भारत का पूर्वी क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों का सार्थक उपयोग कर तेजी से विकास करे और विश्व व्यापार की मुख्य धारा में शामिल हो, इसके लिए जरूरी है कि पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का एक "आर्थिक संघ" बने जो भारत सरकार पर राजनैतिक प्रभाव डालकर पूर्वी क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा की नीति में बदलाव कराये और इस क्षेत्र के संसाधनों के आधार पर विकास की एक समन्वित और व्यापक योजना लागू कराये। इस संदर्भ में पूर्वी क्षेत्र के इन राज्यों में सरकारें जिस प्रकार की भी हों, इस संघ के उद्देश्य परिभाषित हों। भारत के पूर्वी क्षेत्र के संसाधनों के आधार पर विकास की संभावनाओं को मूर्त्त रूप देने और इस क्षेत्र का दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर विश्व व्यापार के साथ इसे जोड़ने के एजेंडा के आधार पर आपके माध्यम से पहल होना एक सार्थक कदम हो सकता है। बंगाल की खाड़ी की दूसरी तरफ के देशों ने इस बीच काफी प्रगति की है और इसमें से कुछ देश "एशियन टाइगर" कहलाने लगे। कोलकाता, हल्दिया और पारादीप बंदरगाहों को सक्रिय बनाकर इनके साथ भारत के विश्व व्यापार का लाभ पूर्वी क्षेत्र के राज्य उठा सकते हैं। अन्यथा इसका लाभ देश के दक्षिणी और पश्चिमी समुद्री तटवर्ती इलाकों के राज्य ही उठाते रहेंगे।

भारत का पूर्वी क्षेत्र नेपाल और भूटान की सीमा से जुड़ा हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी यह क्षेत्र शेष राष्ट्र के साथ सम्पर्क का माध्यम है। भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ विश्व व्यापार के सम्पर्क क्षेत्र के रूप में भारत के पूर्वी क्षेत्र का स्वाभाविक उपयोग संभव है। एक आर्थिक संघ के रूप में इन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन पर आधारित कृषि एवं औद्योगिक

Scanned with OKEN Scanner

विकास से इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या का जीवन स्तर उठाना संभव हो सकेगा। यह भू–भाग फिलहाल उद्योग और व्यवसाय के संदर्भ में शेष भारत में होने वाले उत्पादनों पर आश्रित है। वर्तमान समय में भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की "मेक इन इंडिया" नीति का उपयोग भी इस संदर्भ में हो सकता है। भारत सरकार से योजनात्मक विकास के रूप में जो सहायता पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों को प्राप्त होती है, उसका बड़ा हिस्सा खपत उपयोग के मामले में पराश्रित होने के कारण यहां से बाहर चला जाता है। काम की खोज में जनसंख्या का पलायन इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से की त्रासदी है। नतीजा है कि यह क्षेत्र आर्थिक पिछड़ापन और औपनिवेशिक व्यापार की दोहरी परिस्थिति का शिकार है। योजना आयोग सहित इसके विघटन के बाद गठित संस्थाओं के साथ राज्यों की रूटीन बैठकों और सम्मेलनों से अलग इन राज्यों के लिए पृथक सहायता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक है। समय की जरूरत है कि इस क्षेत्र के संदर्भ में एकीकृत एवं समन्वित विकास योजनाओं पर भी विचार किया जाये, ताकि इस क्षेत्र को विकास विडम्बना की वर्तमान स्थिति से उबारा जा सके। भारत के पूर्वी राज्यों में गरीबी उन्मूलन और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए पूर्वी क्षेत्र के राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का एक स्थायी आर्थिक संघ स्थापित करने की पहल करनी चाहिए।

सादर,

भवदीय

9.11.2016

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner